

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
PASCHIM VIHAR SPORTS COMPLEX**

No. SP/PVSC/0002/2025/F1/ -PVSC/1453

Dated : 08.01.2026

NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 03/PVSC/DDA/2025-26 (1st Recall)

Online quotations are invited on behalf of Chairman, Delhi Development Authority (Sports Wing) for the following work at Paschim Vihar Sports Complex. **The quotation shall be uploaded in two parts, namely, 'Part - I' containing Technical Bid and 'Part – II' comprising 'Financial Bid'. The bid not uploaded in accordance with the prescribed manner will not be accounted for at all.** Only those agencies/ Firm/ Person having completed similar work who have successfully completed three or more similar nature of works each costing not less than 40% of the estimated cost put to quotation, or two completed works costing each not less than 60% of the estimated cost put to quotation, or one completed work costing not less than 80% of estimated cost put to quotation **during the last seven years in Government Department** or Public Sector undertaking with annual turnover more than 30% of the estimated cost in each year during the immediate last three consecutive financial years ending March 2025 duly certified by Chartered Accountant having valid UDIN are entitled to apply. A proof thereof should be uploaded with the Technical Bid. The quotationer should be registered with the GST Department and furnish a copy of registration with the tender. The tenderer should be registered with the GST Department and furnish a copy of registration with the quotation. Earnest money shall be deposited through RTGS/NEFT in the account of **"CAU SPORTS DDA (EMD ACCOUNT)" having Account No. 1614159849 with "Kotak Mahindra Bank, Gulmohar Park, New Delhi, (IFSC. KKBK0000184)."**

N.O.W:- Maintenance of Paschim Vihar Sports Complex, DDA.

S.H:- Supply of Black Clay, Red Morrum and Good Earth at PVSC.

Estimated Cost: Rs. 2,77,200/-

Earnest Money : 10,000/-

SCHEDULE OF QUANTITY

S. No.	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Black Clay	1500	Cuft		
2	Red Morrum	1500	Cuft		
3	Good Earth	1200	Cuft		

Quotation documents can be obtained / download on the e-tendering portal i.e. *website* <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> or www.dda.org.in upto **27.01.2026 (03:00 pm)** (last date of sale) and **Opening of technical bid on 28.01.2026 (3.30 PM)**. The unique transaction reference of RTGS/NEFT shall have to be uploaded by the quotationer in the E-Tendering system by the prescribed date.

TECHNICAL BID (FIRST COVER)

The quotations are required to furnish following documents in technical bid:-

- i. Scanned copy of reference of RTGS/NEFT (EMD).
- ii. Scanned copy of PAN No.
- iii. Scanned copy of GST Registration.
- iv. Scanned copy of Similar nature of Work Experience Certificate as per NIQ condition.
- v. Scanned copy of Proof of requisite fee deposited with Contractors Registration Board of DDA.
- vi. Scanned copy of Turnover Certificate duly certified by Chartered Accountant having valid UDIN as per NIQ condition.

FINANCIAL BID (SECOND COVER)

- i. Schedule of Financial bid in the form of BoQ_XXXXX.xls.

Any tender found lacking with respect to the necessary information and /or documents and/or Earnest Money with the Technical bid will not be considered.

Bidder/tenderer registered in Contractor's Registration Board (CRB) of DDA are required to pay the e-tendering annual charges as under:

S. No	Class of Contractor	Amount to be paid p.a.
1	Class-I	Rs. 20,000 + GST as applicable
2	Class-II	Rs. 16,000 + GST as applicable
3	Class-III	Rs. 14,000 + GST as applicable
4	Class-IV	Rs. 10,000 + GST as applicable
5	Class-V	Rs. 6,000+ GST as applicable

Bidders/tenderers who are not registered in DDA and wish to bid in DDA tenders are required to pay annual charge of E-tendering of Rs. 20,000/- + GST as applicable. In case any contractor fails to make payment by the stipulated date, the concerned contractor will not be eligible for tendering.

Note (1):- The bidder will use one UTR (Unique Transaction Reference) for one work only. In case, it is found that he has used one UTR number for different tenders, all the tenders submitted by him will be rejected and he will be debarred from further tendering in DDA in future."

Note (2):- The intending tenderer should ensure before tendering in DDA that the requisite fee has been already deposited with CRB.

Note (3):- No Hard copy of any document will be required to be submitted by the tenderers till the opening of the tenders. Hard Copies of relevant documents will be required from the lowest tenderer only.

Note (4):- For terms and conditions, eligibility criteria of specialized work, the manner in which Earnest Money, cost of tender, etc., are to be deposited through RTGS mode and other information/instructions, please visit DDA's website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> or www.dda.org.in. For any assistance on e-tendering please contact concerned EE or M/s N.I.C. on email cppp-nic@nic.in or 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 & 01206277787 or send a mail over to – support-eproc@nic.in.

TERMS & CONDITIONS:-

1. The supply shall be done as per specifications.
2. Quoted rate should be inclusive of all taxes / levies including GST, payable under respective states, DDA will not entertain any claim, whatsoever in this regard.
3. The payment will be made after entire satisfaction of RE(PVSC)/Secretary/PVSC, DDA.
4. No T & P will be issued by Department.
5. No advance payment will be made to the agency.
6. Commissioner (Sports) reserves the right to accept or reject any bid / quotation without assigning any reason.
7. Commissioner (Sports) reserves the right to debar the concerned agency if the work is not completed in stipulated time as work is found to be substandard.
8. Conditional quotation will not be accepted.
9. Necessary statutory deductions as applicable will be made.
10. No minor shall be engaged at site.
11. Nothing extra will be paid to the agency by the department.
12. Validity of Quotation is 60 days from the date of opening.
13. Debarred agency / or individual shall not be permitted to participate in the tendering process. Agency should be reputed and does not have any tarnished reputation.
14. Any individual who has been debarred is not permitted to take part in any negotiations or represent an agency even if he holds a power of attorney on the agencies behalf. Any agency engaging debarred persons is also liable to debarring.
15. The experience of agencies should be taken into account rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
16. The quantities of items in schedule are tentative which may change depending upon site conditions.
17. If the entire work is not done within the stipulated time mentioned in work order, it will be sole discretion of the Secretary/PVSC to accept the work of item on such terms as the Secretary deemed fit and proper or to cancel the supply/work order/ to stop any payment against the work / to forfeit the earnest money or to debar the concerned agency. The decision of the Competent Authority in this behalf shall be final and not to be called in question before any Forum.

18. The contractor will be fully responsible during execution of work. If any loss/ theft/ damage caused at site/surrounding, the same shall be made good with in quoted rates or recovered from the agency/shall be made good at agency's risk and cost.
19. If any agency submits a faulty or incomplete tender for the first time, 20% of the earnest money so deposited shall be forfeited. However, if the agency commits fault or submits incomplete tender again in the subsequent tenders and the competent Authority finds that the default has been willful, negligent or malafide in its intent, the earnest money shall be forfeited absolutely without assigning any reason and the tenderer shall not be allowed to participate in future tendering.
20. In case the rates quoted by the bidders are same, then in order to arrive at a decision, a draw of lots shall be carried out by a Committee comprising of Secretary of the Complex, RE/PVSC and DDO of the complex.
21. Based on real time feedback of members and administrative staff of DDA as and when a deficiency of service is noticed the same will be intimated to the agency/ contractor for rectification. In case there is no improvement/ rectification within prescribed period from the time of intimation proportionate deduction, as approved by the Competent Authority, shall be made from the agency/ contractor.
22. The supply/work shall be completed within 30 days from the date of issue of the order.

-sd-
RE(PVSC)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
पश्चिम विहार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

नं. SP/PVSC/0002/2025/F1/-PVSC/1453

दिनांक: 08.01.2026

कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना संख्या- 03/PVSC/DDA/2025-26 (पहला रिकॉल)

चेयरमैन, दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से पश्चिम विहार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्नलिखित कार्य के लिए ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात्, 'भाग-I' जिसमें टेक्निकल बिड और 'भाग-II' जिसमें 'फाइनेंशियल बिड' शामिल होगी। निर्धारित तरीके से अपलोड नहीं की गई बिड पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा। केवल वही एजेंसियां/फर्म/व्यक्ति जिन्होंने इसी तरह का काम पूरा किया है, जिन्होंने पिछले सात वर्षों के दौरान सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में तीन या अधिक समान प्रकृति के काम सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत कोटेशन की अनुमानित लागत के 40% से कम नहीं है, या दो पूरे किए गए काम जिनकी लागत प्रत्येक की कोटेशन की अनुमानित लागत के 60% से कम नहीं है, या एक पूरा किया गया काम जिसकी लागत कोटेशन की अनुमानित लागत के 80% से कम नहीं है, और पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में अनुमानित लागत के 30% से अधिक का वार्षिक टर्नओवर है, जो मार्च 2025 को समाप्त हो रहा है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित है और जिनके पास वैध UDIN है, वे आवेदन करने के हकदार हैं। इसका प्रमाण टेक्निकल बिड के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। कोटेशन देने वाले को GST विभाग में पंजीकृत होना चाहिए और टेंडर के साथ पंजीकरण की एक प्रति जमा करनी चाहिए। टेंडर देने वाले को GST विभाग में पंजीकृत होना चाहिए और कोटेशन के साथ पंजीकरण की एक प्रति जमा करनी चाहिए। बयाना राशि RTGS/NEFT के माध्यम से "CAU SPORTS DDA (EMD ACCOUNT)" के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता संख्या 1614159849 है और बैंक "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (IFSC. KKBK0000184)" है।

कार्य का विवरण:- पश्चिम विहार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, DDA का रखरखाव।

संक्षिप्त विवरण:- PVSC में काली मिट्टी, लाल मोरम और अच्छी मिट्टी की आपूर्ति।

अनुमानित लागत: Rs. 2,77,200/-

बयाना राशि: 10,000/-

मात्रा की अनुसूची

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	काली मिट्टी	1500	घन फुट		
2	लाल मुरम	1500	घन फुट		
3	अच्छी मिट्टी	1500	घन फुट		

कोटेशन दस्तावेज़ ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in से 27.01.2026 (03:00 बजे) तक (बिद्री की अंतिम तिथि) प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं और टेक्निकल बिड 28.01.2026 (3.30 बजे) को खोली जाएगी। RTGS/NEFT का यूनिंक ट्रांज़ेक्शन रेफरेंस कोटेशन देने वाले को निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग सिस्टम में अपलोड करना होगा।

टेक्निकल बिड (पहला कवर)

कोटेशन देने वालों को टेक्निकल बिड में निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

- RTGS/NEFT (EMD) रेफरेंस की स्कैन की गई कॉपी।
- पैन नंबर की स्कैन की गई कॉपी।
- GST रजिस्ट्रेशन की स्कैन की गई कॉपी।
- NIQ शर्त के अनुसार समान प्रकृति के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी।
- DDA के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड में जमा की गई आवश्यक फीस के प्रमाण की स्कैन की गई कॉपी।
- NIQ शर्त के अनुसार वैध UDIN वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी।

फाइनेंशियल बिड (दूसरा कवर)

- BoQ_XXXXX.xls के रूप में फाइनेंशियल बिड की अनुसूची।

कोई भी टेंडर जिसमें आवश्यक जानकारी और/या दस्तावेज़ और/या टेक्निकल बिड के साथ बयाना राशि की कमी पाई जाएगी, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

DDA के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड (CRB) में पंजीकृत बोली लगाने वालों/टेंडर देने वालों को ई-टेंडरिंग वार्षिक शुल्क निम्नानुसार देना होगा:

क्र. सं.	ठेकेदार का वर्ग	प्रति वर्ष देय राशि
1	वर्ग-I	रु. 20,000 + GST जैसा लागू हो

2	वर्ग-II	रु. 16,000 + GST जैसा लागू हो
3	वर्ग-III	रु. 14,000 + GST जैसा लागू हो
4	वर्ग-IV	रु. 10,000 + GST जैसा लागू हो
5	वर्ग-V	रु. 6,000+ GST जैसा लागू हो

जो बिडर/टेंडर DDA में रजिस्टर्ड नहीं हैं और DDA टेंडर में बिड करना चाहते हैं, उन्हें ई-टेंडरिंग का सालाना चार्ज 20,000/- रुपये + GST जैसा लागू हो, देना होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर तय तारीख तक पेमेंट नहीं करता है, तो वह कॉन्ट्रैक्टर टेंडरिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा।

नोट (1):- बोली लगाने वाला एक काम के लिए सिर्फ एक UTR (यूनिक ट्रांज़ैक्शन रेफरेंस) का इस्तेमाल करेगा। अगर यह पाया जाता है कि उसने अलग-अलग टेंडर के लिए एक ही UTR नंबर का इस्तेमाल किया है, तो उसके द्वारा सबमिट किए गए सभी टेंडर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और उसे भविष्य में DDA में आगे टेंडर डालने से रोक दिया जाएगा।

नोट (2):- DDA में टेंडर देने से पहले इच्छुक टेंडरर यह सुनिश्चित कर लें कि ज़रूरी फीस CRB में पहले ही जमा कर दी गई है।

नोट (3):- टेंडर खुलने तक टेंडर देने वालों को किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। संबंधित डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी सिर्फ सबसे कम बोली लगाने वाले टेंडरर से ही मांगी जाएगी।

नोट (4):- नियम और शर्तों, विशेष काम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अर्नेस्ट मनी, टेंडर की लागत आदि RTGS मोड से कैसे जमा करें और अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए, कृपया DDA की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in पर जाएं। ई-टेंडरिंग पर किसी भी सहायता के लिए कृपया संबंधित EE या M/s N.I.C. से ईमेल cppp-nic@nic.in या 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 और 01206277787 पर संपर्क करें या support-eproc@nic.in पर मेल भेजें।

नियम और शर्तें:-

1. सप्लाई स्पेसिफिकेशन के अनुसार की जाएगी।
2. कोट किया गया रेट सभी टैक्स/लेवी, जिसमें GST भी शामिल है, जो संबंधित राज्यों में देय हैं, सहित होना चाहिए, DDA इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. पेमेंट RE(PVSC)/सेक्रेटरी/PVSC, DDA की पूरी संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई T & P जारी नहीं किया जाएगा।
5. एजेंसी को कोई एडवांस पेमेंट नहीं किया जाएगा।
6. कमिश्नर (स्पोर्ट्स) बिना कोई कारण बताए किसी भी बिड/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
7. यदि काम तय समय में पूरा नहीं होता है या काम घटिया पाया जाता है, तो कमिश्नर (स्पोर्ट्स) संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
8. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. लागू होने वाले आवश्यक वैधानिक कटौतियां की जाएंगी।
10. साइट पर किसी भी नाबालिग को काम पर नहीं लगाया जाएगा।
11. विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
12. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।
13. ब्लैकलिस्टेड एजेंसी / या व्यक्ति को टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई खराब प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए।
14. किसी भी व्यक्ति जिसे डिबार किया गया है, उसे किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। डिबार किए गए व्यक्तियों को काम पर रखने वाली कोई भी एजेंसी भी डिबार किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी।
15. एजेंसी के साथ शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें प्रोप्राइटरशिप शामिल नहीं है।
16. शेड्यूल में वस्तुओं की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
17. यदि वर्क ऑर्डर में बताए गए निर्धारित समय के भीतर पूरा काम नहीं किया जाता है, तो यह सचिव/पीवीएससी के एकमात्र विवेक पर होगा कि वे काम को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करें जैसा कि सचिव उचित समझें या आपूर्ति/वर्क ऑर्डर रद्द करें/काम के खिलाफ कोई भी भुगतान रोकें/बयाना राशि जब्त करें या संबंधित एजेंसी को डिबार करें। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
18. काम के निष्पादन के दौरान ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि साइट/आस-पास कोई नुकसान/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों के भीतर ठीक किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर ठीक किया जाएगा।
19. यदि कोई एजेंसी पहली बार कोई दोषपूर्ण या अधूरा टेंडर जमा करती है, तो जमा की गई बयाना राशि का 20% जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि, यदि एजेंसी बाद के टेंडरों में फिर से गलती करती है या अधूरा टेंडर जमा करती है और सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि चूक जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई है, तो बयाना राशि बिना कोई कारण बताए पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और टेंडरकर्ता को भविष्य के टेंडर में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
20. यदि बोली लगाने वालों द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो निर्णय पर पहुंचने के लिए, कॉम्प्लेक्स के सचिव, आरई/पीवीएससी और कॉम्प्लेक्स के डीडीओ वाली एक समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।
21. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों से वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर, जब भी सेवा में कोई कमी देखी जाएगी, तो उसी की सूचना एजेंसी/ठेकेदार को सुधार के लिए दी जाएगी। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है सक्षम अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड आनुपातिक कटौती एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।
22. सप्लाई/काम ऑर्डर जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।